Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
July 2024
ISSN 2229-3388

# भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री अधिकार और आधुनिकता: एक व्यवस्थित समीक्षा

[1]डॉ. पूजा सिंह, [2]डॉ. वीरेंद्र कुमार चंदोरिया

[1]सहायक प्राध्यापक , कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, नूह, हरियाणा , मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, (केंद्रीय विश्वविद्यालय) , तेलंगना, भारत

ईमेल: singhpja@gmail.com

[2]सहायक प्राध्यापक , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

ईमेल: chandoriakr@gmail.com

**सारांश**

भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने के क्रम में एक ठोस सवाल का सामना करना पड़ता है और सवाल यह है कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा स्त्री विभेद और समानता के संदर्भ में दोष पूर्ण है अथवा नहीं है? इसके उत्तर के समर्थन में सदैव एक- दो उद्धरण देकर सवाल का उत्तर दे दिया जाता है। हमने शोध के माध्यम से ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। हमारें निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारतीय ज्ञान परम्परा में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अनेक दृष्टिकोण और प्रावधान मिलते हैं। जिनकी चर्चा प्राचीन ग्रंथों जैसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र में की गई है। ये ग्रंथ महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, पुनर्विवाह और संपत्ति अधिकारों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखा गया है कि प्राचीन काल में भी महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य और नारद जैसे शास्त्रकारों ने नपुंसकता, पति की दीर्घकालिक अनुपस्थिति और आपसी असहमति के आधार पर तलाक की अनुमति दी थी। वहीं विधवाओं के पुनर्विवाह और उनके संपत्ति अधिकारों को लेकर भी विभिन्न मत पाए जाते हैं। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और विष्णुस्मृति जैसे लेखकों ने विधवाओं को संपत्ति पर अधिकार देने का समर्थन किया जबकि अन्य ग्रंथों मे संपत्ति पर अधिकार पुरुषों को देने की बात की गई हैं। आधुनिक काल में समाज सुधारकों ने इन प्राचीन ग्रंथों का पुनःपरीक्षण करते हुए महिलाओं के अधिकारों की पुनःव्याख्या की उदाहरण स्वरूप राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और लाला लाजपत राय आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर अनेक सुधारात्मक उपाय किए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति और संपत्ति अधिकारों में समानता जैसे प्रयास महिलाओं के जीवन को सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में छुपी हुई संवेदनशीलता को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। भारतीय समाज में आज भी पितृसत्तात्मक मानसिकता और पारंपरिक धारणाएँ महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक कानूनी सुधारों के बीच एक संवाद स्थापित कर समाज को संतुलित किया जा सकता है। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक संतुलन स्थापित कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। इन विचारों और प्रथाओं को समकालीन संदर्भ में अपनाकर महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने की आवश्यकता है।

**कूटशब्द -** भारतीय ज्ञान परंपरा, स्त्री विमर्श, महिला अधिकार, सशक्तिकरण, संस्कृति।

## प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील रही है और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सभ्यता के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और शास्त्रों में महिलाओं के अधिकारों, भूमिकाओं और कर्तव्यों पर विविध दृष्टिकोण मिलते हैं। इन ग्रंथों में स्त्रियों के प्रति सम्मान के साथ-साथ उनके अधिकारों की व्याख्या भी की गई है। उदाहरण के लिए, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित होने, अपने जीवनसाथी का चयन करने और यज्ञादि धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। कई विदुषियों जैसे गार्गी और मैत्रेयी ने उस समय ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह दर्शाता है कि उस युग में महिलाओं की स्थिति उच्च और समानता पर आधारित थी। कालांतर में विशेष रूप से मध्यकाल में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों ने एक पितृसत्तात्मक ढांचे को मजबूत किया, जिससे महिलाओं के अधिकारों में कटौती हुई और उनकी स्वतंत्रता पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियाँ लगाई गईं। परंतु यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस समय में भी भारत में कई समाज सुधारक, संत और कवियों ने महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की। संत कबीर, मीराबाई और भक्ति आंदोलन के अन्य संतों ने समाज में महिलाओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने की बात की। आधुनिक भारत में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक प्रयास हुए हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधारकों, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए और लैंगिक समानता की दिशा में कई कानून बनाए गए। वर्तमान में, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता भारतीय समाज में एक केंद्रीय मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15और 16 के माध्यम से महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिया गया है और कई कानूनी सुधारों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। हाल के वर्षों में महिला आरक्षण, कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कानूनऔर अन्य नीतियों ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिकऔर राजनीतिक स्थिति को सुधारने में सहायक भूमिका निभाई है। हालांकि, लैंगिक समानता का पूर्ण लक्ष्य अभी भी अधूरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भ में देखने पर पता चलता है कि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो स्त्री विभेद का समर्थन करती प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो लैंगिक समानता की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में विविधता है। वर्तमान में, आवश्यक है कि इन ग्रंथों और परंपराओं का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनःविश्लेषण किया जाए ताकि एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके जहाँ महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता, समानताऔर अधिकार प्राप्त कर सकें। इस शोध पत्र का उद्देश्य है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रस्तुत महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह समझा जाए कि क्या

यह परंपरा लैंगिक विभेद को बढ़ावा देती हैऔर यदि हाँ तो इसके कौन से पहलू दोषपूर्ण हैं। साथ ही, समाज सुधारकों के योगदान और आधुनिक कानूनों के माध्यम से इन परंपराओं का पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। हमने इस पर विचार करने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पाठ्य विश्लेषण किया है और इसकी तुलना आधुनिक सुधारवादी विचारों से की है। हमने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र कामसूत्र आदि प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण भी किया गया है। हमने भलीभांति विचार करने के लिए आधुनिक विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं और समाज सुधारकों द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्यों की तुलना और उनका विश्लेषण भी किया गया है।

**भारतीय ज्ञान परंपरा का संदर्भ**

भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र आदि ग्रंथ समाज के सामाजिक और नैतिक ढांचे को निर्धारित करते हैं। इन ग्रंथों में न केवल धर्म और राजनीति का वर्णन किया गया है बल्कि विवाह, परिवार और स्त्रियों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका का निर्धारण इन शास्त्रों के माध्यम से होता रहा है। विवाह क्रिया, संपत्ति के अधिकार, परिवार में उनकी भूमिका और धर्म में उनका स्थान इन ग्रंथों में निर्धारित है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए थे। उदाहरण के लिए, वेदों में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था जहाँ वह "ब्राह्मवादिनी" और "सद्योवधू" के रूप में धार्मिक अनुष्ठानों और विद्या अर्जन में भाग लेती थीं। वैदिक काल में महिलाएँ न केवल परिवार की रीढ़ थी बल्कि समाज में भी उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। परंतु स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में महिलाओं की स्थिति को पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से देखा गया जहाँ उनकी भूमिका परिवार और गृहस्थी तक सीमित कर दी गई। इसके बाद के युगों में धर्म और कानून के माध्यम से उनके अधिकारों को नियंत्रित किया गया।

**स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में स्त्रियों की स्थिति**

वैदिक युग के बाद के समय में धर्मशास्त्रों और स्मृतियों ने समाज में पितृसत्तात्मक संरचना को और अधिक मजबूत किया। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों की तुलना में सीमित किया गया। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को बचपन में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। धर्मशास्त्रों में विवाह को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान माना गया जहाँ स्त्रियों को पति की सेवा और समर्पण का प्रतीक माना गया। इसमें पुरुषों को प्रमुख स्थान दिया गया जबकि स्त्रियों की भूमिका घर-गृहस्थी तक ही सीमित कर दी गई थी। महाभारत में भी इसी अवधारणा को अष्टावक्र द्वारा समझाया गया है की जब एक महिला उनसे शादी करने का अनुरोध करती है। अपनी तपस्या और चरित्र के लिए पहचाने जाने वाले ऋषि अष्टावक्र उस महिला से कहते हैं की, "*पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रश्च स्थाविरे काले नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता॥* (महाभारत 13-20-21 दाना–धर्म–पर्व में)।" अर्थात महिलाओं को बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे के उम्र में क्रमशः पिता, पति और बच्चों द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसलिए बिना उन सब की अनुमति के एक महिला अपने जीवन संबन्धित निर्णयो के लिए उन पर आश्रित होती हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि वह उन लोगों से अनुमति के बिना उससे शादी कैसे कर सकता है जो उनकी रक्षा करते हैं।

**कामसूत्र और अर्थशास्त्र में महिलाओं की भूमिका**

कामसूत्र और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में स्त्रियों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। कामसूत्र में स्त्रियों के विवाह के प्रकार और उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर चर्चा की गई है। यह ग्रंथ समाज में स्त्रियों की भूमिका को सम्मानित करता है और उनके यौन और वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देता है। वही कौटिल्य का अर्थशास्त्र महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करता है। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, पुनर्विवाह और तलाक की व्यवस्था का विस्तृत रूप से समर्थन किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार स्त्रियाँ संपत्ति के अधिकार के मामले में पुरुषों के समान मानी जाती थी और उन्हें अपनी संपत्ति को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार प्राप्त था।

**महिलाओं के अधिकारों पर प्राचीन ग्रंथों का दृष्टिकोण**

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महिलाओं के अधिकार और स्थिति को लेकर अनेक दृष्टिकोण मिलते हैं। वैदिक युग में महिलाएँ शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी किंतु मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओ की भूमिका को सीमित कर दिया गया था।

**विवाह और परिवार में महिलाओं की स्थिति:** धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में विवाह को एक पवित्र बंधन और सोलह संस्कारों में से एक 'पाणिग्रहण संस्कार' के रूप मे माना गया है, जहाँ पति-पत्नी दोनों के कर्तव्यों और संस्कारो को निर्धारित किया गया है। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था पितृसत्तात्मक ढांचे के अनुसार बदलती गई। मनुस्मृति में स्त्रियों को विवाह के बाद पति के अधीन रहने की सलाह दी गई है(ओलिवेल, 2005)। इसमें स्त्री के कर्तव्य और पति के प्रति समर्पण का महत्व बताया गया है। वही नारद स्मृति ने भी महिलाओं की सुरक्षा का समर्थन किया है। जो कहता है कि "*पक्षवर्णसने तु राजा भर्ता स्त्रियाँ मत:*" जिसका अर्थ है, यदि महिला के दोनों पक्षों यानि उसके पिता और ससुराल से कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं है तो उनकी रक्षा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं, विशेषकर तलाक और पुनर्विवाह के संदर्भ में (कंगल, 1960)। परंतु समय के साथ यह अधिकार ह्रास होता गया।

**तलाक और पुनर्विवाह:** प्राचीन ग्रंथों में तलाक और पुनर्विवाह के संदर्भ में मिश्रित दृष्टिकोण मिलता है। याज्ञवल्क्य, कौटिल्य और वात्स्यायन ने स्त्री के लिए तलाक और पुनर्विवाह के अधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उन्होंने नपुंसकता, पति की दीर्घकालिक अनुपस्थिति और आपसी असहमति के आधार पर मोक्ष(तलाक) की अनुमति दी थी (शमशास्त्री, 2016)। नारद ने सात प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख किया है। जिसमे तीन प्रकार की पुनर्विवाहित स्त्री और चार प्रकार की स्वैरिणी (व्यभिचारिणी) स्त्रियाँ शामिल हैं। तीन प्रकार की पुनर्विवाहित स्त्री:- पहले प्रकार की पुनर्विवाहित स्त्री वह स्त्री होती है जो विवाहित तो होती है, लेकिन 'अक्षतयोनि(पहले पति से कभी संभोग न किया हो)' होती है। यानी उसका विवाह संस्कार वैदिक रीति-रिवाज से किया जा सकता हैं। दूसरी पुनर्विवाहित स्त्री वो जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है लेकिन पहले पति के पास वापस आ जाती है। तीसरी पुनर्विवाहित स्त्री का विवाह देवर (पति के छोटे भाई) की अनुपस्थिति में सवर्ण कुल के पुरुष से किया जा सकता है। चार स्वैरिणी(व्यभिचारिणी) है:- पहली जब उसका पति जीवित होता है परंतु काम-वासना के कारण किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती है, दूसरी, पति की मृत्यु हो जाने पर वह उसके भाई (देवर) को अस्वीकार कर देती है और किसी बाहरी व्यक्ति के साथ रहना चुनती है। तीसरी, वह महिला जो विकट परिस्थितिया जैसे भोजन या  कपड़े आदि के लिए खुद को बेचती है और फिर अपने खरीदार को पति के रूप मे स्वीकार कर लेती हैं।  और चौथी वह साहसी महिला जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और समय के अनुसार किसी को दान मे दे दिया जाता है। नारद कहते हैं-"एक महिला एक खेत की तरह है और कृषि क्षेत्र को उस आदमी को नहीं सौंपा जा सकता जिसके पास बीज नहीं है।" उपरोक्त अधिकार महिलाओं को असफल विवाह से बाहर निकलने का अवसर देता था। हालाँकि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में तलाक की अनुमति नहीं दी गई है और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। धर्मशास्त्रों में तलाक को सामान्यतः धर्मविरोधी माना गया है। लेकिन अर्थशास्त्र और कामसूत्र में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप नारद और याज्ञवल्क्य ने तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्था का समर्थन किया है जबकि विष्णुस्मृति में विधवाओं को संपत्ति के अधिकार देने का समर्थन किया गया है। पुनर्विवाह को लेकर समाज में मतभेद थे जो समय और समाज के ढांचे के अनुसार बदलते रहे।

**संपत्ति अधिकार:** प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर भी विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार मोक्ष(तलाक) प्राप्त स्त्री का पुत्र अपने पिता की संपत्ति का हकदार होगा और महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने की बात कही है जबकि अन्य धर्मशास्त्रों में यह अधिकार केवाल पुरुष सदस्यों को दिया गया है। धर्मशास्त्रों में "स्त्रीधन"(विवाह के समय स्त्रियों को प्राप्त संपत्ति) की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है जो विवाह के समय महिलाओं को दी जाने वाली संपत्ति का एक हिस्सा होता था। स्त्रीधन के अधिकार को प्रारंभिक शास्त्रों ने मान्यता दी थी लेकिन बाद के धर्मशास्त्रों में इसे सीमित किया गया। आधुनिक भारतीय समाज में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 (हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू) के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया।

**प्राचीन ज्ञान परंपरा में निहित स्त्री विभेद और समानता**

भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में एक तरफ स्त्रियों को अनेक अधिकार दिए गए है तो वही दूसरी ओर पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण ने इन अधिकारों को सीमित किया है।

**पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव:** धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में पितृसत्ता का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि स्त्रियों को तीन अलग-अलग जीवन चरणों में पुरुषों पर निर्भर रहना चाहिए। पहले पिता, फिर पतिऔर अंत में पुत्र(ओलिवेल, 2005)। इस तरह स्त्रियों की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और उन्हें समाज में द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना गया।

**समानता के पक्षधर ग्रंथ:** यद्यपि धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, फिर भी अर्थशास्त्र और कामसूत्र जैसे कुछ ग्रंथों ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन किया। इन ग्रंथों में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। धर्मवीर का तो यहां तक दावा है कि संस्कृत भाषा में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र के लेखक विवाह में अलगाव के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और विवाहित व्यक्तियों के बीच तलाक के लिए मोक्ष शब्द का उपयोग करते हैं। पति और पत्नी दोनों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एकरूप नहीं थी, बल्कि उसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का भाव भी था।

**आधुनिक काल में महिलाओं के अधिकारों की पुनःव्याख्या**

आधुनिक भारत में समाज सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का पुनः परीक्षण करते हुए महिलाओं के अधिकारों की पुनर्व्याख्या की। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने उन धारणाओं को चुनौती दी जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती थीं (सरकार, 1985 व नन्दा, 2002)।

**सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह:** राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। जो प्राचीन काल से ही विधवाओं के लिए एक अमानवीय प्रथा थी (कुमार, 1993)। इसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उन प्राचीन प्रथाओं के विरोध में था जो विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित करती थीं (चक्रवती, 2003)

**संपत्ति में महिलाओं का अधिकार:** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया। यह कानून भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्व्याख्या का परिणाम था, जहाँ स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई।

**महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता :** स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया और कहा कि समाज की उन्नति स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता पर निर्भर करती है (नन्दा, 2002)। विवेकानंद का मानना था कि भारतीय परंपरा में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिएऔर उन्हें सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए (नस्बाम, 2000)।

**भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक कानूनी सुधारों के बीच सामंजस्य**

भारतीय समाज में आज भी पितृसत्तात्मक मानसिकता और पारंपरिक धारणाएँ महिलाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक कानूनी सुधारों के बीच सामंजस्य स्थापित कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

**विवाह और पारिवारिक कानून में संतुलन:** प्राचीन ग्रंथों ने विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में माना लेकिन आधुनिक समाज ने इसे वैयक्तिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर पुनः परिभाषित किया है। आधुनिक विवाह कानून जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत किया है। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पुनर्विवाह की स्वीकृति से मेल खाता है, जिसमें कौटिल्य और नारद ने स्त्रियों के पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इस प्रकार आधुनिक कानून और प्राचीन परंपराएँ मिलकर महिलाओं को नए अवसर प्रदान कर सकती हैं।

**संपत्ति और उत्तराधिकार में सुधार :** प्राचीन परंपराओं में संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं को सीमित अधिकार दिए गए थे। लेकिन कुछ ग्रंथों जैसे विष्णुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में संपत्ति के हस्तांतरण में पुत्रि(बेटी) की भूमिका का उल्लेख किया गया है। आधुनिक काल में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और इसके 2005 में संशोधन ने महिलाओं को परिवार की संपत्ति में समान अधिकार देकर आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार प्राचीन परंपराओं और आधुनिक कानूनों के बीच सामंजस्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बना सकता है।

**सामाजिक न्याय और कानूनी सुधार:** सती प्रथा और बाल-विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। राजा राममोहन राय ने मनुस्मृति के चुनिंदा अंशों का उपयोग कर सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसी तरह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 ने महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया। आधुनिक सुधार और प्राचीन ज्ञान के सकारात्मक तत्व मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो।

**सामाजिक न्याय और कानूनी सुधार:** प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था और गर्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया (अलटेकर, 1959)। आधुनिक समय में शिक्षा के अधिकार को कानूनी मान्यता देकर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया गया है (शर्मा, 2000)। समान शिक्षा और नारी सशक्तिकरण अभियान ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (नंदा, 2002)।

**सामंजस्य स्थापित करने का महत्व:** प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक सुधारों के बीच सामंजस्य स्थापित करना न केवल इतिहास और वर्तमान के बीच एक पुल का कार्य करेगा बल्कि यह महिलाओं को समाज में सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा (काने, 1941)। आधुनिक कानूनों को केवल कानूनी सुधार तक सीमित न रखकर सामाजिक चेतना का हिस्सा बनाना आवश्यक है, ताकि प्राचीन ज्ञान के साथ आधुनिक मूल्य भी प्रभावी रूप से स्थापित हो सकें (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955।

**भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता की चुनौती**

भारतीय समाज में पितृसत्ता आज भी महिलाओं की प्रगति में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है (कुमार, 1993)। पारंपरिक धारणाएँ और धार्मिक मान्यताएँ जिनमें स्त्रियों की भूमिका को सीमित कर परिवार और समाज की परिधि तक बांध दिया जाता है यह अब भी कई हिस्सों में प्रचलित हैं (चक्रवती, 2003)। यह मानसिकता महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जिससे उनका आत्मनिर्भर और सशक्त बनना मुश्किल हो जाता है।

**शिक्षा: सामाजिक जागरूकता का माध्यम:** शिक्षा महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है (नस्बाम, 2000)। आधुनिक समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और सुलभ बना दिया है, जिससे लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार हुआ है। गर्गी और मैत्रेयी जैसी प्राचीन विदुषियों ने भी समाज में स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत किया (अल्टेकर, 1959)। इसी परंपरा को आधुनिक शिक्षा तंत्र में अधिक मजबूती से अपनाने की आवश्यकता है ताकि स्त्रियों को सशक्त बनाया जा सके।

**सामाजिक सुधारों की भूमिका:** पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक हैं। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया (सरकार, 1985)। आज भी समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता अभियानों की जरूरत है। सामाजिक सुधारों के माध्यम से लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करना संभव हो सकता है।

**कानूनी सुधार: महिलाओं के अधिकारों की गारंटी:** पितृसत्तात्मक मानसिकता को कमजोर करने में कानूनी सुधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधनों ने महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है (इंडिया कोड (2005)। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देकर उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की है (इंडिया कोड (2005))।

**पितृसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन के उपाय**

1. शिक्षा और जागरूकता: शिक्षा का विस्तार और लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम लागू करना आवश्यक है ताकि बाल्यावस्था से ही लड़कों और लड़कियों में समानता का भाव विकसित हो।
2. सामाजिक अभियान: महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए नारी सशक्तिकरण अभियान चलाए जाने चाहिए (नन्दा, 2002)।
3. कानून का विधिसम्मत पालन: महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और कठोर दंड के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
4. आर्थिक स्वतंत्रता: रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना जरूरी है (कबीर, 1999)।

**निष्कर्ष**

इस शोध का निष्कर्ष यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों पर गहराई से चर्चा की गई है। वैदिक काल में जहाँ महिलाओं को शिक्षा और धर्म में बराबरी का दर्जा प्राप्त था वहीं धर्मशास्त्रों और स्मृतियों के माध्यम से उनकी स्थिति को पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सीमित कर दिया गया। आधुनिक समाज सुधारकों और कानूनी सुधारों ने प्राचीन ग्रंथों की उन धारणाओं को पुनःव्याख्यायित किया जिससे महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा और वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। अंततः भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक सुधारों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। इस दृष्टिकोण से ही समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान और सम्मान मिल सकता है।

**संदर्भ सूची**

1. अल्टेकर, ए. (1959). द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन: फ्रॉम प्रीहिस्टॉरिक टाइम्स टू द प्रेजेंट डे. मोती लाल बनारसीदास।
2. चक्रवर्ती, यू. (2003). जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेन्स. पॉपुलर प्रकाशन।
3. कबीर, एन. (1999). रिसोर्सेस, एजेंसी, अचिवमेंट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन द मापमेंट ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट. डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435-464। https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125
4. काने, पी. वी. (1941). हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, वॉल. 1–5. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
5. कांजले, आर. पी. (1960). द कौटिलीय अर्थशास्त्र. मोती लाल बनारसीदास।
6. कुमार, आर. (1993). द हिस्ट्री ऑफ डूइंग: एन अकाउंट ऑफ विमेंस राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया. ज़ुबान।

7. नंदा, बी. आर. (2002). स्वामी विवेकानंद: अ बायोग्राफी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. नस्बाम, एम. सी. (2000). विमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट: द कैपैबिलिटीज अप्रोच. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. ओलिवेल, पैट्रिक (2005). मनुस्मृति: द लॉज ऑफ मनु. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. सरकार, एस. (1985). अ क्रिटीक ऑफ कॉलोनियल इंडिया. पपीरस, कोलकाता।
11. शमसास्त्री, आर. (2016). कौटिल्य का अर्थशास्त्र. सरकारी प्रेस। देखें- https://library.bjp.org/jspui/handle/123456789/73
12. शर्मा, ए. (सं.)(2002). विमेन इन इंडियन रिलीजन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (n.d.). विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। देखें- https://lddashboard.legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/hindu-marriage-act-1955
14. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956। विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। (2016).देखें- https://lddashboard.legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/hindu-succession-act-1956
15. हिंदू उत्तराध-कार संशोधन अधिनियम, 2005। विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।देखें- https://www.indiacode.nic.in
16. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, संख्या 43 का 2005, इंडिया कोड (2005)। देखें- https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1899/1/200543.pdf
17. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, संख्या 15 का 1856, इंडिया कोड (1856)। https://www.indiacode.nic.in
18. कुमार, ए. (2020, 2 नवंबर). मनु स्मृति- महिला और स्वतंत्रता (भाग-I). इण्डिका टुडे। देखें -https://www.indica.today/bharatiya-languages/understanding-manu-smriti-part-i-hindi/